



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास  
Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय  
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

ORDER NO. 13/213-2015-HRME(4)

DATED, PANCHKULA: 15/02/2016

In compliance of orders of Hon'ble High Court passed in CWP No.24298 of 2015 dated 19.11.2015, the following official hereby transferred/adjusted with immediate effect.

Sr. No.	Transfer Id	Name , Designation	Present Place of Posting	Transfer/Adjusted to	Remarks
1	73543	Sh. Baljeet Singh Clerk Employee ID: 094262	GSSS Gujar Ghatal, Distt. Rewari [2573]	DIET Machhrauli, Distt. Jhajjar [6857] Rural	Against vacancy

**Note :-**

- The official will be relieved immediately and in any case with in 3 days failing which he/she will be liable for disciplinary action, However if any official is working in Census duty, he/she shall not be relieved till the Census duty is accomplished.
- No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
- No male teacher below the age of 50 years be allowed to join in the girls schools.
- If there is no vacancy in the destination school for any reason the incumbent transferred shall re-join his/her previous place of posting and also inform to concerned branch/computer cell at HQ.**  
If any discrepancy is noticed in this order or there is a violation of transfer policy, It should be brought to the notice of Computer Cell/Concerned branch within three days and the order be not implemented.
- In case of mutual transfer, it is directed that before relieving/joining the officials concerned, it may be ensured that the distance between both the schools is not less than 8 km.
- In case of urban area stations while implementing the transfer orders, it may be ensured that the transferee has completed the rural service as per transfer policy.
- The mutual transfer would be effective only when both the employees seeking mutual transfer submit a consent document to their respective head of institution.**
- Consent/affidavit of the official be taken that he is willing to loose his seniority in case of requested transfer orders.

**A.S. MANN**  
**ADDITIONAL DIRECTOR ADMINISTRATION-I**  
**O/O DIRECTOR SECONDARY EDUCATION**  
**HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. 13/213-2015-HRME(4)

DATED PANCHKULA, 15/2/16

A copy is forwarded to the following for information and necessary action :-

- District Education Officer Rewari / Jhajjar.
- Head of the institution concerned.
- Official concerned.
- PS/SPS to CM.
- Sr. PS/E.M.
- Sr. PS/PSSE
- PA/DEE
- Technology officer (HQ)

*Shas*

**SUPERINTENDENT HRME**  
**for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION**  
**HARYANA, PANCHKULA**

*De*



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार  
Directorate School Education  
विद्यालय शिक्षा निदेशालय  
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास  
Education, Culture and Development

EDUCATION DEPARTMENT  
शिक्षा विभाग, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय  
From Darkness lead me to Light

आदेश क्रमांक 5/42-2015 HRME(2) /2911

दिनांक, पंचकुला :-

- इसके द्वारा श्री पवन कुमार, उप अधीक्षक (66176), कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत (4141) को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के आधार पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987 के नियम-8 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबन्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
- इसके द्वारा श्री पवन कुमार से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
- इसके द्वारा श्री पवन कुमार को आगे सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्हीं दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हें यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री पवन कुमार ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते हैं जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी श्री पवन कुमार, उप अधीक्षक (66176), कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत (4141) को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हें इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
- लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।
- संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

REGD.

श्री पवन कुमार, उप अधीक्षक (66176),  
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत (4141)  
पृष्ठांकन क्रमांक -सम-

दिनांक, पंचकुला:- 10-2-16

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत
- 2- प्रौद्योगिकी अधिकारी।

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0  
कृते: निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा  
पंचकुला।

D:\2) SHAKUNTLA MADAM\charg sheet\Charge Sheet format Rule 6- Pawan Kumar.doc

Off.: 30 Bays Building, 3rd Floor, Sector 17-B, Chandigarh 160017 (India) Tel: 91(0172)-2701333 Fax:- 91(0172)2701347  
कार्यालय: 30 बेज बिल्डिंग, तृतीय तल, सेक्टर 17-बी चण्डीगढ़ -160017 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2701333 फैक्स: 91 (0172) 2701347

आरोप सूची नियम-8 विरुद्ध- श्री पवन कुमार उप अधीक्षक , जिला शिक्षा अधिकारी पानीपत ।

श्री पवन कुमार उप अधीक्षक का जि०शि०अधि० पानीपत ने जि०शि०अधि० पानीपत में बतौर उप अधीक्षक कार्यरत रहते हुये निम्न प्रकार से अनियमितताएं की:-

1. यह कि दिनांक 01.10.2014 को निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० हरियाणा, गुडगांव द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी पानीपत व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पानीपत के कार्यालय में श्री तेजवीर सिंह संस्कृत अध्यापक, रा०व०मा०वि० छाजपुर के योग्यता प्रमाण पत्र, जातिप्रमाण पत्रों के संबंध में जांच की जानी थी परन्तु आप द्वारा जांच के समय रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा न ही मामले का गम्भीरता से लिया ।

ऐसा करके आपने अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर तथा जांच में पूर्ण सहयोग न कर दोषी को बचाने की शंका जाहिर की है, अतः ऐसा करके आपने अपने आप को अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया ।

(एस०सी०ई०आर०टी० मान)  
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन-1  
कार्यालय, निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा,  
पंचकूला  
५

365104  
15/2/16

**OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION EDUCATION, PANCHKULA**

**MEMO No.12/4-2016 EXAM(1)**

**Dated Panchkula, the 28-01-2016**

**ORDER**

Smt Shashi Budhwar, Assistant Director (Exam), is hereby appointed as Central Drawing and Disbursing Officer/Nodal Officer for the payment of all Pre-Matric /Post Matric Scholarship and incentive Schemes admissible to the students of classes 9<sup>th</sup> to 12<sup>th</sup> by the Secondary Education Department under Aadhar Payment Bridge System with immediate effect.

**M.L.KAUSHIK, I.A.S**  
**Director Secondary Education,**  
**Haryana, Panchkula.**

**Endst No.**

**Dated Panchkula, the 10.2.16**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal, Accountant General Haryana (A & E) Chandigarh.
2. All District Education Officers in the State. They are directed that a Nodal Officer be appointed at District level who can collect, compile and verify the data of beneficiaries of all incentive schemes in MIS EXCEL SHEET and send the same to the Central DDO-cum-Assistant Director (Exam) at HQ level.
3. All Nodal Officer O/o District Education Officers. They are directed that data of all beneficiaries of incentive schemes be provided to the Central DDO-cum- Assistant Director (Exam) at HQ level.
4. Treasury Officer, Panchkula.
5. Smt Shashi Budhwar, Central DDO-cum- Assistant Director O/o Director Secondary Education, Haryana, Panchkula. Copy of instructions of UIDAI is sent herewith. He is requested that complete data of all types of beneficiary students be taken from all the District Education Officers is MIS EXCEL SHEET regarding all incentive schemes running by Directorate Secondary Education Haryana and payment of all incentive schemes be made according to the instructions issued under APBS.
6. Chief Accounts Officer. He is directed to allot the Budget of all incentive schemes under APBS to Central DDO-cum- Assistant Director according to his demand so that payment could be made to all the beneficiary students studying in class 9<sup>th</sup> to 12<sup>th</sup> throughout Haryana.
7. Technology Officer to download it on the website of the Department.
8. Deputy Director, UIDAI, SCO 139-41, Sector-17, Chandigarh.
9. PS/ACSSE Haryana, Chandigarh.
10. PA/DSE Haryana, Panchkula.
11. PA/DEE Haryana, Panchkula.
12. Manager, State Bank of Patiala Sector-8 Panchkula.

**Additional Director Admn -II**  
**For Director Secondary Education,**  
**Haryana, Panchkula**

Sh  
15/2/16

Programmer (MK)



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार  
Directorate School Education  
विद्यालय शिक्षा निदेशालय  
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

364ITM  
15/02/2016  
Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास  
Education, Culture and Development  
EDUCATION DEPARTMENT  
शिक्षा विभाग, हरियाणा  
तमसो मा ज्योतिर्गमय  
From Darkness lead me to Light

आदेश क्रमांक 5/51-2012 HRME(2) /2911

दिनांक, पंचकुला :-

1. इसके द्वारा श्री संजीव कुमार, सहायक (53862), कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत (4141) को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के आधार पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987 के नियम-8 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबन्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
2. इसके द्वारा श्री संजीव कुमार से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
3. इसके द्वारा श्री संजीव कुमार को आगे सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्हीं दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हें यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री संजीव कुमार ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते हैं जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी श्री संजीव कुमार, सहायक (53862), कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत (4141) को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकता उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हें इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहिये।
5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

REGD.

श्री संजीव कुमार, सहायक (53862),  
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत (4141)  
पृष्ठांकन क्रमांक -सम-

(प्रो एस0 मान)  
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन  
कार्या0 निदेशक सकेण्डरी शिक्षा हरियाणा  
पंचकुला।  
Shibu

दिनांक, पंचकुला:- 10.2.16

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत
- 2- प्रौद्योगिकी अधिकारी।

कृते: निदेशक सकेण्डरी शिक्षा हरियाणा  
पंचकुला।  
Shibu

C:\Users\joll\Desktop\Charge Sheet format Rule 8- Sanjeev Kumarr.doc

आरोप सूची नियम-8 विरुद्ध- श्री संजीव कुमार, सहायक, जिला शिक्षा अधिकारी पानीपत ।

श्री संजीव कुमार, सहायक का० जि०शि०अधि० पानीपत ने जि०शि०अधि० पानीपत में बतौर सहायक कार्यरत रहते हुये निम्न प्रकार से अनियमितताएं की:-

2. यह कि दिनांक 01.10.2014 को निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० हरियाणा, गुडगांव द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी पानीपत व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पानीपत के कार्यालय में श्री तेजवीर सिंह संस्कृत अध्यापक, रा०व०मा०वि० छाजपुर के योग्यता प्रमाण पत्र, जातिप्रमाण पत्रों के संबंध में जांच की जानी थी परन्तु आप द्वारा जांच के समय, रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा न ही मामले का गम्भीरता से लिया ।

ऐसा करके आपने अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर तथा जांच में पूर्ण सहयोग न कर दोषी को बचाने की शंका जाहिर की है, अतः ऐसा करके आपने अपने आप को अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया ।

(ए०एस० मानि)  
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन-1  
कार्यालय, निदेशक सकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,  
पंचकूला  
Shukla



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार  
**Directorate School Education**  
**विद्यालय शिक्षा निदेशालय**

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास  
Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय  
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253  
कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फ़ैक्स: 91 (0172) 2560253  
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

To  
REGD

Sh Kishan Singh, Headmaster,  
GHS Railway Colony, Palwal.

Memo No. 5/68-2015 HRG-II (2)  
Dated, Panchkula, the

Subject:- Chance of personal hearing - Sh Kishan Singh, Headmaster,  
GHS Railway Colony, Palwal regarding his reply dated nil.

Reference this Office Memo No. 5/68-2015 HRG-II (2) dated  
11-12-2015 and 27-1-2016 and your reply dated nil on the subject cited  
above.

In the aforesaid matter you are hereby given again an  
opportunity of personal hearing to explain your position. Therefore, you are  
requested to appear before Addl. Director/Special Secretary to Govt. of  
Haryana, Education Deptt, Chandigarh on 25-02-2015 at 11.00 A.M. in his  
office , 2<sup>nd</sup> Floor, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula.

*Sd/r*  
SUPERINTENDENT HRG-II  
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,  
HARYANA, PANCHKULA.

ENDST. No. EVEN

DATED PANCHKULA THE 15.02.16

A copy is forwarded to the following for information and necessary  
action.

1. District Education Officer Palwal. He is requested to intimate the  
Headmaster concerned about the said date and time for personal  
hearing.
2. Steno/Addl. Director Admn-1
3. ✓ Technology Officer (Local)

*Shankh 11/2*  
SUPERINTENDENT HRG-II  
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,  
HARYANA, PANCHKULA.



Office: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253  
कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फ़ैक्स: 91 (0172) 2560253





GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

# Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास  
Education, Culture and Developmentतमसो मा ज्योतिर्गमय  
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

**ORDER NO. 5/13-2016 HRME(4) / 659****DATED, PANCHKULA THE 2/10/2016**

Sh Muni Ram [020502], Assistant DEO Jind (Jind) [4115] is hereby placed deemed to be under suspension from 02.02.2016. During the Period of suspension he will be entitled to subsistence allowance under Rule 7.2 of Punjab C.S.R vol-I, Part-I as applicable to State of Haryana.

During the Period of suspension, his Headquarter will be the O/o District Education Officer O/o District Education Office Jind and he will not leave his Headquarter without prior permission of the Competent authority.

**A.S. MANN**  
**ADDITIONAL DIRECTOR ADMINISTRATION-I**  
**O/O DIRECTOR SECONDARY EDUCATION**  
**HARYANA, PANCHKULA**

**ENDST. NO. EVEN****DATED PANCHKULA, THE 15/2/15**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action :-

- 1 District Education Officer/District Elementary Education Officer, Concerned. It is requested to send draft chargesheet within 7 days positively.
- 2 Head of the institution, Concerned.
- 3 Official Concerned.
- 4 Accountant General A&E Haryana , Chandigarh
- 5 Sr. PS/E.M.
- 6 Sr. PS/PSSE
- 7 PS/DSE
- 8 Technology officer (HQ)

  
**SUPERINTENDENT HRME**  
**for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION**  
**HARYANA, PANCHKULA**



**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,  
PANCHIKULA**

**Order No. 5/1-2016 Admn. (3)**

**Dated, Panchkula, the 09.02.2016**

In compliance of order No. 5/103-2011HRME (1) dated 08.02.2016, Sh. Naveen Kumar, Clerk who is on Deputation since 06.01.2016 with this directorate is hereby relieved on today i.e. on 09.02.2016 (A.N.) to enable him<sup>to</sup> join his new place of posting i.e. O/o District Education Office, Sonipat [4611]. He has availed two casual leave while working on deputation in the directorate.

**SURINDER SINGH NEGI  
ASSISTANT DIRECTOR ADMN.  
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION  
HARYANA PANCHIKULA**

**Endst. No. Even**

**Dated, Panchkula, the 09.02.2016**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. PA/DSE.
3. PA/Additional Director Admn-I, II & III.
4. Superintendent HRME Branch.
5. District Education Officer, Sonipat
6. District Elementary Education Officer, Mewat.
7. Official concerned.
- ✓ 8. Technology Officer (H.Q. IT Cell).

*Sh*  
*12/2/16*  
*Pragya (Varan)*  
*Audesh.*

*Sh*  
**SUPERINTENDENT ADMN.  
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION  
HARYANA, PANCHIKULA**